बीकानेर शहर की खस्ता सड़कों को लेकर पीडब्लयूडी एसई कार्यालय में दिया धरना

बीकानेर, (कासं)। बीकानेर शहर में लगातार बिगड़ती सड़कों की स्थिति को लेकर पूर्व जिला उपाध्यक्ष डॉ भगवान सिंह मेड़तिया व कार्यकर्ताओं ने लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में अधिकारी ओ.पी. मंडार के कक्ष में धरना देकर विरोध दर्ज कराया।

डॉ भगवान सिंह मेड़तिया ने आरोप लगाया कि बजट घोषणा 2025/2026 में राजस्थान सरकार ने बीकानेर की जनता को राहत देने के लिए सड़कों के निर्माण के लिये 15 15 करोड़ रूपये दोनों विधानसभा क्षेत्र में दिये जिनमें दोनों विधायकों ने पूर्व में 56 और पश्चिम में 82 सड़कों की अनुशंसा की। जिनमें कुल सड़कें 138 होती है। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मात्र 35 सड़कें ही बनी है। 103 सड़कों का कार्य आज दिनांक तक शुरू नहीं हुआ है। जबकि राजस्थान सरकार ने 2026/2027 का बजट जारी कर दिया। 5 5 करोड़ ओर दे दिए। इससे यह जाहिर होता है कि प्रशासनिक अधिकारी जानबूझकर सरकार की साख पर बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं।

शहर की अधिकांश प्रमुख और आंतरिक सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, जिससे आम नागरिकों, व्यापारियों एवं वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बीकानेर शहर की खस्ताहाल सड़कों को लेकर पीडब्लयूडी एसई कार्यालय में धरने पर बैठे भाजपा नेता भगवानसिंह मेडतिया।

युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष वेद व्यास ने कहा कि पुष्करणा सावा जो कि पूरे विश्व में ओलंपिक सावे के नाम से जाना जाता है। दुर्भाग्य है कि इस बार अंतिम दिन तक सड़कों पर कारपेट करते रहे। जबकि उसे करना सवेरे की तैयारी सेव से पहले पूर्ण कर लेनी चाहिए थी। धरने के दौरान अधिकारियों से मांग की गई कि गंगाशहर की गौतम चौक से चौरडिया चौक मोहित धारीवाल के मकान से वेद जी की दुकान तक तेरापंथ भवन से मैन बाजार तक तिलक निगर मूंड मार्केट से धर्मेन्द्र सिंह के मकान रोड नंबर 5 तक डॉ चांवरिया के मकान से अस्सी फीट रोड तक, कोठारी हॉस्पिटल से जस्सूसर गेट तकरामपुरा बस्ती गली नम्बर 9 से शक्ति जनरल स्टोर से रामपुरा बाईपास करणी माता मंदिर तक, रोशनी घर चौराहे से पुलिस लाइन चौराहा तक, दुर्गा माता मंदिर से शिवबाड़ी चौराहा पटेल नगर, गंगानगर चौराहे से पत्रिका कार्यालय तक क्षतिग्रस्त मार्गों का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए। मरम्मत कार्य की समय सीमा सार्वजनिक की जाए।

विक्रम सिंह राजपुरोहित ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जायेगा। बीकानेर जैसे ऐतिहासिक शहर में सड़कों की ऐसी दुर्दशा चिंताजनक है और प्रशासन को प्राथमिकता के आधार पर सुधार कार्य करना चाहिए। धरने में भव्य दत्त भाटी, रघुपति सिंह भाटी राधे पंवार, जितेन्द्र सिंह भाटी, उम्मेद सिंह भाटी, भंवर सिंह भाटी, राजेन्द्र सिंह खारा साथ थे।

- बीकानेर पूर्व और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में दोनों विधायकों ने पूर्व में 56 और पश्चिम में 82 सड़कों की अनुशंसा की जिनमें कुल सड़कें 138 होती है
- दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मात्र 35 सड़कें ही बनी है। 103 सड़कों का कार्य आज दिनांक तक शुरू नहीं हुआ

हत्या के तीन आरोपियों को उम्रकैद

बीकानेर, (कासं)। जिले में आपसी विवाद के चलते कुल्हाड़ी और लाठियों से किए गए हमले में एक युवक की मौत के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया। अपर सेशन न्यायाधीश संख्या पांच अनुभव सिडाना की अदालत ने तीन आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है। यह फैसला 13 मई 2021 को हुई वारदात में लम्बी सुनवाई के बाद आया है।

बीकानेर स्थित अपर सेशन न्यायालय संख्या पांच के पीठासीन अधिकारी अनुभव सिडाना ने सेशन प्रकरण में रामेश्वर लाल, जगदीश और मांगीलाल को दोषसिद्ध माना। अदालत ने तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 वैकल्पिक 302/34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रकरण के अनुसार 13 मई 2021 को सुबह करीब 11.30 बजे गीगासर से केसरदेसर जाने वाले कच्चे रास्ते पर खेत के पास लालूराम पर हमला किया गया। परिवादी ओमप्रकाश ने पुलिस थाना देशनोक में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रामेश्वर लाल और जगदीश ने कुल्हाड़ी से जबकि मांगीलाल ने लाठी से उसके पिता लालूराम पर हमला किया। हमले में गंभीर रूप से घायल लालूराम को पीबीएम हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उपचार के दौरान मौत हो गई थी।

ऊंट पालन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दी जा सकती है : डॉ पांडे

बीकानेर, (कासं)। भाकृअनुप-राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र (एनआरसीसी) बीकानेर में आज 'सतत उष्ट्र उत्पादन : वन हेल्थ, डेयरी नवाचार और पर्यावरणीय सुरक्षा का एकीकरण' विषयक एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।

केन्द्र के निदेशक डॉ. अनिल कुमार पूनिया की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर के प्रख्यात विषय विशेषज्ञों एवं केन्द्र वैज्ञानिकों ने शिरकत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं की-नोट स्पीकर डॉ. अशोक पांडे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ऊर्जा और पर्यावरण स्थिरता केन्द्र, लखनऊ ने 'सूक्ष्म प्लास्टिक एवं नैनो-प्लास्टिक प्रदूषण तथा मानव एवं पशु स्वास्थ्य पर उसके प्रभाव: चुनौतियां एवं भावी दिशा' विषयक व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए कहा कि आज मानव सभ्यता की पहुंच जितनी व्यापक हुई है। प्लास्टिक का विस्तार भी उतना ही सर्वव्यापी हो गया है।

लगभग प्रत्येक वस्तु प्लास्टिक से निर्मित होने पर इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। सूक्ष्म प्लास्टिक एवं नैनो प्लास्टिक का फैलाव वातावरण में होने से मानव स्वास्थ्य इससे बेहद प्रभावित हो रहा है। इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए इसका सीमित उपयोग किया जाना चाहिए। डॉ. पांडे ने कहा कि ऊंट पालन को आधुनिक ऊर्जा और पर्यावरणीय मानकों के साथ जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दी जा सकती है।

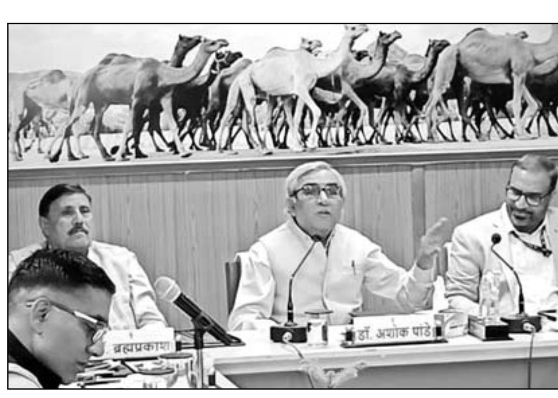

एनआरसीसी में सतत उष्ट्र उत्पादन पर राष्ट्रीय कार्यशाला को डॉ. अशोक पाण्डे ने संबोधित किया।

इस अवसर पर निदेशक डॉ. अनिल कुमार पूनिया ने एनआरसीसी की अनुसंधान गतिविधियों एवं अद्यतन कार्यों की विस्तृत जानकारी देते हुए उष्ट्र प्रजाति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भावी अनुसंधान योजनाओं तथा व्यावहारिक पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वैश्विक परिदृश्य में जहां ऊंटों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। वहीं भारत में यह चिंताजनक रूप से सीमित होती जा रही है।

श्याम फाग महोत्सव 26 को

बीकानेर, (कासं)। फाल्गुन मास की उल्लासमयी बेला में श्याम भक्तों के लिए भक्ति और रंगों का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। श्याम आस्था परिवार द्वारा 26 फरवरी को श्याम प्रभु का वार्षिक फाग महोत्सव संकीर्तन हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जायेगा। यह भव्य आयोजन दोपहर 1 बजे से बीकानेर के लक्ष्मीनाथ मन्दिर परिसर में सम्पन्न होगा।

संस्था के महामंत्री नवलकिशोर सोनी ने बताया कि फागोत्सव के अवसर पर श्याम भक्तों के लिए विशेष भजन संकीर्तन का आयोजन किया गया है। जिसमें श्याम आस्था परिवार के सुप्रसिद्ध भजन गायक अपने मधुर भजनों से भक्तों को भाव-विभोर करेंगे। पूरा मंदिर परिसर श्याम नाम के जयघोष से गुंजायमान रहेगा। कार्यक्रम संयोजक अभिषेक तिवारी ने बताया कि इस अवसर पर श्याम प्रभु का भव्य शीश दरबार विशेष पुष्पों से सजाया जायेगा। रंग-बिरंगे फूलों से सुसज्जित दरबार भक्तों के लिए आकर्षण का केन्द्र रहेगा। साथ ही ठाकुर जी को पारंपरिक रीति से पुष्प होली खिलाई जायेगी। श्रद्धालुओं पर खाटू के केसर इत्र की सुगंधित वर्षा की जायेगी, जिससे पूरा वातावरण सुगंधित हो उठेगा।

बस पलटने से एक की मौत, 30 घायल

हनुमानगढ़, (कासं)। पीलीबंगा के नजदीक अमरपुरा फाटक पर बने ओवरब्रिज पर शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे एक निजी बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में एक महिला की मौत और 30 से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें पीलीबंगा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी लोग एक ही परिवार के थे और नामकरण समारोह में शामिल होने के लिए बीकानेर से पीलीबंगा आ रहे थे।

घायलों में से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हनुमानगढ़ रेफर किया गया है। दुर्घटना के तुरंत बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने बस को रास्ते से हटवाकर यातायात सुचारू करवाया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस में सवार सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। वे बीकानेर से पीलीबंगा किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे थे। मौके पर मौजूद पीलीबंगा थाना के पुलिस अधिकारी ने बताया कि फिलहाल बस को हटाकर रास्ता साफ कराया जा रहा है और घायलों को इलाज उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जा रहा है। घायलों की सूची और घटना के कारणों के संबंध में विस्तृत जानकारी मिलने में कुछ समय लगेगा।

हादसे में लक्ष्मी देवी की मौत हुई है। इसके अलावा 30 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में तमन्ना, मंजू, पुखराज, आकांक्षा, गायत्री, शीतल, खुशबू, जीतू, ओमप्रकाश, विराट, सुशीला, योगेश, निरमा देवी, शयर, इंद्रप्रकाश, चंदा देवी, मैना देवी, विक्रम, उषा देवी, नीलम, सुनिता, भंवरलाल, कांता, प्रहलाद, नरेश, कृष्णा, शिवजी, शंकरलाल, पियुष शामिल हैं।

- पीलीबंगा के नजदीक बस डिवाइडर से टकराकर पलटी
- नामकरण समारोह में शामिल होने बीकानेर से पीलीबंगा आ रहे थे

कुंड में गिरने से 13 साल की बच्ची की मौत

बीकानेर, (कासं)। श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में एक हादसे में 13 साल की बालिका की कुंड में डूबने से मौत हो गई। राजपुरा गांव की रोही में स्थित कृषि कुंए पर यह घटना उस समय हुई। जब बालिका घरेलू उपयोग के लिए कुंड से पानी निकालने गई थी। हादसे के बाद पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मृतका के पिता भंवरलाल जाट ने बताया कि वह गांव शेरेरा का निवासी है और शेरूणा थाना क्षेत्र के राजपुरा गांव की रोही में स्थित कृषि कुंए पर काश्त करता है। परिवार ने वहीं पर ढाणी बना रखी थी और उसी में रह रहा था। दोपहर करीब 2 बजे भंवरलाल किसी काम से गांव गया हुआ था। ढाणी में उसकी पत्नी और 13 साल की पुत्री प्रियंका मौजूद थीं। इसी दौरान प्रियंका घरेलू उपयोग के लिए कुंड से पानी निकालने गई। पानी निकालते समय उसका पैर फिसल गया और वह सीधे कुंड में गिर गई। कुछ देर बाद जब प्रियंका दिखाई नहीं दी तो उसकी मां उसे तलाशते हुए कुंड के पास पहुंची।

कुंड में झांकने पर प्रियंका नजर आई। मां ने आसपास के लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला। लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतका के पिता की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज किया गया है। मामले की जांच एएसआई जगदीश प्रसाद को सौंपी गई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया।

- पानी निकालते समय पैर फिसलने से कुंड में डूबी बालिका

राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में चयन

बीकानेर, (कासं)। स्थानीय महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय हाउसिंग बोर्ड के प्राचार्य संदीप जैन का अखिल भारतीय सिविल सेवा शतरंज प्रतियोगिता 2026 के लिए राजस्थान की टीम में चयन हुआ है।

इस प्रतियोगिता का आयोजन त्यागराज स्टेडियम, नई दिल्ली में 17 से 26 फरवरी तक किया जायेगा। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि आचार्य ने बताया कि राजस्थान की टीम में चयन के लिए जयपुर में सचिवालय में खिलाड़ियों की ट्रायल रखी गई थी। इसमें प्रदेश के सेवारत खिलाड़ियों ने भाग लिया था। संदीप जैन चेस ट्रायल में दूसरा स्थान हासिल कर राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु चयनित हुए। जैन ने पूर्व में भी अनेक राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है।

खेजड़ी की अवैध कटाई रोकने के आदेश, महापड़ाव स्थगित

बीकानेर, (कासं)। बीकानेर राजस्व विभाग ने प्रदेश में खेजड़ी की अवैध कटाई रोकने के आदेश सभी कलेक्टरों को जारी किए हैं। इसके साथ ही खेजड़ी बचाओ आंदोलन को लेकर 11 दिन से चल रहा महापड़ाव स्थगित कर दिया गया। गुरूवार देर रात मंच से इसकी घोषणा की गई।

राजस्व विभाग के शासन सचिव डॉ. जोगाराम ने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि खेजड़ी के संरक्षण के लिए विशेष कानून इसी विधानसभा सत्र में लाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। प्रदेश में खेजड़ी के संरक्षण एवं अवैध कटाई नहीं होने देने के लिए सरकार पूर्णत: संकल्पित है। इसे देखते हुए सचिव ने कलेक्टरों को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उद्योग मंत्री के. के. बिश्नोई ने खेजड़ी कटाई पर रोक लगाने की अधिकृत रूप से घोषणा करते हुए राजस्व विभाग का पत्र मंच से दिखाया तो पर्यावरण प्रेमियों ने मां अमृता देवी के जयकारे लगाए।

उद्योग मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि खेजड़ी पर कड़ा कानून लाने की सहमति 27 अगस्त को ही बन गई थी। सभी संभागीय आयुक्त और कलेक्टर्स को खेजड़ी के संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपते हुए निर्देशित किया है कि कानून लागू होने तक खेजड़ी की अवैध रूप से कटाई न हो। इससे पहले राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल के रूप में मंत्री के. के. बिश्नोई सहित जीव-जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई, विधायक पब्बाराम और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारीलाल बिश्नोई रात करीब साढ़े नौ बजे महापड़ाव स्थल पर पहुंचे।

संत, पर्यावरण संघर्ष समिति के सदस्य और आंदोलन की कोर कमेटी को पहले आदेश दिखाया। उसकी भाषा को लेकर विचार-विमर्श किया। रात करीब 11.15 बजे उन्होंने मंच से घोषणा कर दी। आंदोलन स्थगित होने पर प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। 17 फरवरी को मुकाम मेले को देखते हुए प्रशासन की चिंता बढ़ गई थी।

- राजस्व विभाग ने प्रदेश में खेजड़ी की अवैध कटाई रोकने के आदेश सभी कलेक्टरों को दिए

बी.टी.यू. और राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान के मध्यम ओयू

बीकानेर, (कासं)। तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर और आईसीएमआर-नेशनल इंस्टीट्यूट फ़ोर इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च ऑन नॉन-कम्यूनिकेबल डीसीजीज़, जोधपुर (राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर) के बीच शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर शुक्रवार को हस्ताक्षर किये गए।

जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ ने बताया कि यह समझौता आईसीएमआर, जोधपुर परिसर में आयोजित एक औपचारिक समारोह के दौरान संपन्न हुआ। इस एमओयू पर बीटीयू, बीकानेर की ओर से कुलगुरू प्रो. अखिल रंजन गर्ग तथा आईसीएमआर-एनआईआईआरएनसीडी, जोधपुर की ओर से निदेशक प्रो. पंकज भारद्वाज ने हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत दोनों संस्थान गैर-संचारी रोगों और उसमें तकनीकी सहयोग सहित विभिन्न उभरते शोध क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान, विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, कार्यशाला तथा फैकल्टी डवलपमेंट प्रोग्राम के आयोजन में सहयोग करेंगे।

बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरू प्रो. अखिल रंजन गर्ग तथा आईसीएमआर-एनआईआईआरएनसीडी जोधपुर की ओर से निदेशक प्रो. पंकज भारद्वाज ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

कुलपति प्रो. गर्ग ने इस अवसर पर कहा कि यह समझौता विद्यार्थियों और शोधार्थियों को उच्च स्तरीय प्रयोगशाला सुविधाओं, विशेषज्ञ मार्गदर्शन एवं उद्योग-उन्मुख शोध अवसरों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और समाजोपयोगी शोध को बढ़ावा मिलेगा।

निदेशक डॉ. पंकज भारद्वाज ने अपने वक्तव्य में कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक एवं प्रभावी अनुसंधान की आवश्यकता है, जिससे जनस्वास्थ्य नीतियों को मजबूत आधार मिल सके। उन्होंने तकनीकी सहयोग की सहभागिता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान संगठनों के संयुक्त प्रयासों से ही समाज के समक्ष उपस्थित स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का प्रभावी समाधान संभव है।

मुनि अमृत कुमार का स्वागत

बीकानेर, (कासं)। श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा गंगाशहर की ओर से आचार्य महाश्रमण शिष्य मुनि अमृत कुमार का बोथरा भवन गंगाशहर में स्वागत समारोह आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में मुनि अमृत कुमार ने कहा कि गंगाशहर शहर नहीं सागर है। यह तेरापंथ धर्म संघ का एक शानदार क्षेत्र है। गंगाशहर में तेरापंथ का 100 वर्षों से अधिक का इतिहास है। तेरापंथ धर्म संघ में गुरूदेव की सनिधि में योगक्षेम वर्ष शुरू हुआ है। योगक्षेम का अर्थ है जिससे आत्मा का उत्थान हो वह योगक्षेम है। जो है उसकी सार संभाल की जावे ओर जो प्राप्त नहीं है उसे पाने की योजना बनावें। यह योगक्षेम वर्ष का लक्ष्य है। योगक्षेम वर्ष में गंगाशहर आना दुर्लभ है। हमें यहां गंगाशहर में ही योगक्षेम वर्ष मनाना है। हमारे इस प्रवास काल के लिए कुछ लक्ष्य बनाये हैं जिसे हमें यहां कि सभा- संस्थाओं के माध्यम से पूरा करना है। ज्ञानशाला में प्रशिक्षित बहिनों की वृद्धि, बच्चों की अच्छी पढाई की व्यवस्था, जैन विधा परीक्षा, प्रेक्षाध्यान के कार्यक्रम करना है।

सार-समाचार

महिलाओं के आहार की जानकारी दी

राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में डॉ. अनुराधा सक्सेना को स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया।

बीकानेर, (कासं)। राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुक्रवार को महिला अधिकारिता द्वारा पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें लगभग 160 संभागियों की भागीदारी रही। महिला अधिकारिता विभाग की उपनिदेशक डॉ. अनुराधा सक्सेना ने बताया कि राष्ट्रीय महिला दिवस एक राष्ट्रीय उत्सव है, जो महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को मान्यता देता है। इसका मुख्य उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना और समावेशी समाज का निर्माण करना है। इसके बाद जागृति वर्क फ्रॉम होम योजना के अन्तर्गत प्रोजेक्टर के माध्यम से पी.पी.टी प्रजेंटेशन देकर महिलाओं को समझाया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि तथा सहायक वन संरक्षक पूजा पंचारिया ने राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में बताया और प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने का आव्हान किया। माहवारी स्वच्छता एवं मोनोपॉज के बारे में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर श्रीमती जयबाला ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि माहवारी के दौरान स्वच्छता बनाए रखना संक्रमण से बचने और स्वास्थ के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने महिलाओं के विभिन्न प्रश्नों के जवाब दिए। विशिष्ट अतिथि डॉ. रीमा राठौड़ ने स्वस्थ महिलाओं के आहार के बारे में जानकारी दी और बताया कि महिलाओं को संतुलित आहार के बारे में बताया। श्रीमती गायत्री ने नृत्य प्रस्तुत किया। विशिष्ट अतिथि आरती आचार्य ने कहा कि आज महिलाओं ने हर क्षेत्र में सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने सफल महिलाओं के व्यक्तित्व-कृतित्व की जानकारी दी। इस दौरान म्यूजिकल चेयर व गुब्बारा फुलाना प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। म्यूजिकल चेयर में प्रथम, द्रोपदी, द्वितीय पिंकी और तृतीय पर्मा रही। गुब्बारा प्रतियोगिता में प्रथम पिंकी, द्वितीय पूनम, तृतीय चम्पा रही। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर अतिथियों ने सम्मानित किया। प्रचेता श्रीमती विजय लक्ष्मी जोशी प्रचेता द्वारा ने आभार जताया। इस दौरान पर्यवेक्षक ज्योति विश्नोई, विमला विश्नोई, पीएसएसके स्टाफ व जेन्डर स्पेशलिस्ट कार्तिक बोहरा, सखी वन स्टॉप सेन्टर के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सरिता गोदारा ने किया।

एससी-एसटी केसों में जांच जल्द हो

कलेक्ट्रेट सभागार में एससी-एसटी एक्ट नियम 04 के अंतर्गत मासिक बैठक एडीएम सिटी रमेश देव ने ली।

बीकानेर, (कासं)। अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण नियम 04 अंतर्गत मासिक बैठक का आयोजन शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम सिटी रमेश देव की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में एडीएम सिटी ने कहा कि एफएसएल रिपोर्ट, एससी-एसटी का जाति प्रमाण पत्र और केस डायरी समय पर पेश करें ताकि पीड़ित को सही समय पर न्याय मिल सके और प्रकरण का निस्तारण भी सही ढंग से हो सके। साथ ही कहा कि एससी-एसटी एक्ट नियम 04 के अंतर्गत दर्ज मामलों का अनुसंधान जल्द कर कोर्ट में आरोप पत्र पेश करें। साथ ही विशिष्ट लोक अभियोजक भी प्रभावशाली पैरवी करे ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। एडीएम सिटी ने कहा कि एससी एसटी एक्ट के पेंडिंग मामलों में हाईकोर्ट स्टे को हटाने का प्रयास किया जाए ताकि गिरफ्तारी की जा सके। उपनिदेशक अभियोजन भगवान सिंह राठौड़ ने बताया कि अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण नियम 04 के अंतर्गत जनवरी तक लंबित प्रकरण 790, विचाराधीन भी 790 है। इसके अलावा बहस चार्ज में 320, अभियोजन साक्ष्य में 269, बयान मुल्जिम में 70 और शहादत सफाई में 52 प्रकरण, बहस अंतिम में 64 केस हैं। माह जनवरी 2026 में एससी-एसटी एक्ट नियम 04 के तहत कुल 15 फैसले हुए। जिनमें से 05 मामलों में सजा, 09 में पक्षद्रोही या राजीनामा होने पर बरी और एक मामले में दोषमुक्त किया गया। बैठक में एडिशनल एसपी ममता सारस्वत, उपनिदेशक अभियोजन भगवान सिंह राठौड़, विशिष्ठ लोक अभियोजक राधेश्याम सेवग, समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक अरविंद आचार्य, पुलिस एससी एसटी सेल से सतीश कुमार यादव आदि उपस्थित थे।

यादें बिनाका गीत माला में गूंजे तराने

बीकानेर, (कासं)। अमन कला केंद्र द्वारा शुक्रवार को टाउन हॉल में विश्व रेडियो दिवस व फिल्म अभिनेता विनोद मेहरा की जयंती जन्म दिवस व मशहूर अनाउंसर अमीन सयानी को याद करते हुए फिल्मी गीतों का रंगारंग प्रोग्राम यादें बिनाका गीत माला की आयोजित किया गया।

संस्था अध्यक्ष एम. रफीक कादरी ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सखा संगम के अध्यक्ष एन. डी. रंगा थे। अध्यक्षता संयुक्त रूप से अलका डोली पाठक शिक्षाविद व डॉ मीना आसोपा वरिष्ठ भाजपा नेत्री ने की विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ सीताराम गोठवाल डॉ जैनुल आबेदीन, डॉ प्रवीण चतुर्वेदी, डॉ मो आरिफ, डॉ पी. के. सरीन, डॉ दिनेश शर्मा, डॉ राकेश रावत, डॉ हिमांशु दाधीच, डॉ योगेश साध, महबूब अली रंगरेज मौजूद थे।

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक :- नियमन/2026/Rajkaj Ref No. 20522184 दिनांक :- 13.02.2026
सार्वजनिक आपत्ति सूचना
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 41 / 44 के किला नं. 18 में भूखण्ड संख्या 104 का माप 30'-0" गुणा 25'-0" फीट के नियमन / पटटा हेतु आवेदक श्रीमती सीमा रानी पत्नी श्री अशोक कुमार निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्रीमती सीमा रानी पत्नी श्री अशोक कुमार निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 41 / 44 के किला नं. 18 में भूखण्ड संख्या 104 का माप 30'-0" गुणा 25'-0" फीट का नियमन / पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन / पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
- सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक :- नियमन/2026/Rajkaj Ref No. 5138 दिनांक :- 12.02.2026
सार्वजनिक आपत्ति सूचना
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 3 ए छोटी मुरब्बा नं. 5 के किला नं. 19,22 में भूखण्ड संख्या 163 का माप 15'-0" गुणा 50'-0" फीट के नियमन/पट्टा हेतु आवेदक श्रीमती सीता रानी पत्नी श्री बलराम निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्रीमती सीता रानी पत्नी श्री बलराम निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 3 ए छोटी मुरब्बा नं. 5 के किला नं. 19,22 में भूखण्ड संख्या 163 का माप 15'-0" गुणा 50'-0" फीट का नियमन/पट्टा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/पट्टा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
- सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक: नियमन/2025/5138 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 11.02.26
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री सुग्रीव कुमार पुत्र श्री लूणा राम निवासी चक 3 एलएनपी, चक महाराजका, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखण्ड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :-

न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखंड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूमि का विवरण	मूल भूखंडधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 4 एमएल मुरब्बा नं. 23 किला नं. 25 में माप 25 इन्टू 51 फीट भूखण्ड संख्या 355 होमलैंड सिटी, श्रीगंगानगर	उक्त भूखण्ड का नियमन पटटा संख्या 8002 दिनांक 08.07.2009 को श्री राजेश कुमार पुत्र श्री दीपानचंद के नाम से जारी किया हुआ है। जो कि नामान्तरण उपरान्त श्रीमती सुरेन्द्र सिंगला उर्फ सुनीता पत्नी श्री प्रेम कुमार के नाम से दर्ज है।	श्री सुग्रीव कुमार द्वारा उक्त भूखण्ड को पंजीकृत बैयनामा दिनांक 09.09.2024 के द्वारा क्रय कर भूखण्ड के नामान्तरण बाबत न्यास में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार उक्त भूखंड के संबंध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामांतरण चाहा गया है। इस संबंध में श्री सुग्रीव कुमार पुत्र श्री लूणा राम निवासी चक 3 एलएनपी, चक महाराजका, तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/फ्री लीज होल्ड पट्टे के संबंध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर/दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त अवधि के दौरान इस भूखंड से संबंधित समस्त दस्तावेजों को आमखास/हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिए कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावेगा एवं कोई आपत्ति/उजर स्वीकार नहीं होगा।
आवेदन संख्या - SGNR/FY25-26/MUT/884 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर